

इंडसइंड बैंक - जैगल जिंगर कार्ड के नियम और शर्तें

1. आप कार्ड से पहला ट्रांजैक्शन करने, लिखित में कार्ड की प्राप्ति स्वीकार करके या कार्ड के पीछे हस्ताक्षर करके नियमों और शर्तों से बंधे रहने के लिए सहमत हैं। कार्ड इंडसइंड बैंक लिमिटेड ("बैंक") की संपत्ति बना रहेगा।
2. यह कार्ड आपको किसी कॉर्पोरेट संस्था/व्यक्तिगत खरीद के लिए दिया गया है और इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है।
3. यह कार्ड एक को-ब्रांडेड वीजा प्रीपेड कार्ड है जिसे एक्टिवेशन के बाद केवल भारत में और केवल वीजा के साथ रजिस्टर्ड भोजन, यात्रा, ईंधन, खर्च और रिवॉइस सेवा प्रदाताओं की मर्चेन्ट कैटेगरी में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए उपयोग किया जा सकता है।
4. कार्ड का उपयोग उपलब्ध बैलेंस से अधिक राशि के ट्रांजैक्शन के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए, अगर मर्चेन्ट सहमत हो, तो आपको शेष राशि किसी अन्य माध्यम से भुगतान करनी होगी।
5. इस कार्ड को दोबारा लोड किया जा सकता है। कार्ड को केवल कॉर्पोरेट से मिले निर्देश के आधार पर रीलोड किया जाता है।
6. यह कार्ड अधिकतम 5 वर्षों की अवधि तक वैध रहेगा। कार्ड पर दर्शाए गए महीने और वर्ष के अंतिम दिन कार्ड की वैधता समाप्त हो जाएगी।
7. जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड ("जैगल") कार्ड की समाप्ति से 45 दिन पहले आपको इसकी सूचना देने के लिए एक एसएमएस भेजेगा। अगर नए पीपीआई को फिर से जारी करके पीपीआई की वैधता बढ़ाने के लिए कोई जवाब नहीं मिलता है, तो यह माना जाएगा कि पीपीआई बैलेंस को सोर्स अकाउंट में वापस ट्रांसफर करने के लिए सहमति दे दी गई है। कृपया सुनिश्चित करें कि संपर्क जानकारी अपडेट हो।
8. यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि आपका मोबाइल नंबर, पैन नंबर, जैगल के साथ अपडेटेड हैं। पूर्ण केवाईसी पूरा करने के लिए आप आप हमसे 1860 500 1231 (सोमवार से शनिवार सुबह 10:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक) पर संपर्क कर सकते हैं या care@zaggle.in पर लिख सकते हैं।
9. कार्ड का उपयोग डायरेक्ट डेबिट, रिकरिंग या रेगुलर इंस्टॉलमेंट भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है।
10. कार्ड बंद करने के लिए, बंद करने का अनुरोध करने से पहले शेष राशि का उपयोग करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद, आवश्यक सत्यापन के बाद कार्ड बंद करने का अनुरोध प्रोसेस किया जाएगा।
11. अगर राशि एक्सपेंस वॉलेट में उपलब्ध है, तो केवल उसी वॉलेट से कैश निकासी की जा सकती है। प्रत्येक एटीएम कैश निकासी, बैलेंस पूछताछ और स्टेटमेंट अनुरोध पर ₹30 + 18% जीएसटी का शुल्क लिया जाएगा।
12. कार्ड पर किए गए सभी ट्रांजैक्शन के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अगर आपको कार्ड से जुड़ी कोई गलती दिखे, तो आप 18605001231 (सोमवार से शनिवार सुबह 10:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक) या care@zaggle.in पर सूचित करें।
13. आप आयकर नियमों के अनुपालन के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। आयकर नियमों के अनुपालन न होने की स्थिति में किसी भी समस्या के लिए न तो जैगल और न ही बैंक जिम्मेदार होगा।
14. सभी ईंधन खरीद पर 1.18% या ₹11.80 (जो भी अधिक हो) का फ्यूल सरचार्ज लगाया जाएगा।
15. ईंधन खरीद पर कैशबैक बैंक/सरकारी नियमों के अनुसार परिवर्तन के अधीन है।

16. अगर आपको कार्ड से की गई खरीदारी या किसी मर्चेट से विवाद संबंधी कोई समस्या है, तो आपको सीधे संबंधित मर्चेट से संपर्क करना होगा। अगर आप मर्चेट के साथ विवाद का समाधान नहीं कर पाते हैं, तो आप हमसे 1860 500 1231 (सोमवार से शनिवार सुबह 10:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक) या care@zaggle.in पर संपर्क कर सकते हैं।
17. बैंक और/या जैगल आपके कार्ड पर रोक लगाने का अधिकार रखते हैं, अगर:
- आप सूचित करते हैं कि आपका कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है; या
 - बैंक और/या जैगल को यह विश्वास हो (या उचित संदेह हो) कि कार्ड का उपयोग इन नियमों और शर्तों के विपरीत किया गया (या किया जाएगा) है।
18. बैंक और/या जैगल, आपके अनुरोध पर, और अपने विवेक से, कार्डधारक को ऐसे खोए, चोरी हुए या क्षतिग्रस्त कार्ड के स्थान पर रिप्लेसमेंट कार्ड जारी कर सकते हैं। इसके लिए ₹199 + जीएसटी का शुल्क लागू होगा।
19. कार्ड ट्रांजैक्शन पर किसी भी प्रकार का रिफंड संबंधित मर्चेट की पॉलिसी के अधीन होगा। रिफंड कार्ड में क्रेडिट के रूप में, उसी वॉलेट में हो सकता है जिससे मूल रूप से राशि डेबिट की गई थी।
20. अपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की ऑनलाइन जांच करना और उपलब्ध बैलेंस की जानकारी रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप www.zaggle.com/payments वेबसाइट पर या 1860 500 1231 (सोमवार से शनिवार सुबह 10:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक) पर जैगल को कॉल करके अपना बैलेंस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
21. अगर कार्ड के संबंध में आपका कोई प्रश्न है, तो आप हमसे 1860 500 1231 (सोमवार से शनिवार सुबह 10:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक) या care@zaggle.in पर संपर्क कर सकते हैं।
22. अगर आपकी समस्या/चिंता का समाधान नहीं होता है या आप समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो किसी भी उच्च स्तर पर शिकायत करने के लिए आप सीधे बैंक से reachus@indusind.com पर संपर्क कर सकते हैं।
23. कानून द्वारा अनुमति होने पर, कानून द्वारा आवश्यक होने पर तथा कार्ड संचालन और ट्रांजैक्शन प्रक्रिया के लिए आवश्यक होने पर, कार्ड या कार्ड से किए गए ट्रांजैक्शन की जानकारी थर्ड पार्टी को प्रदान की जाएगी। पूर्ण गोपनीयता नीति www.zaggle.in वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
24. ऊपर दी गई किसी भी बात के बावजूद, यूजर यह मानता है और कंफर्म करता है कि कार्ड उपयोग करने की एक पूर्व शर्त के रूप में, यूजर बैंक और/या जैगल को इनमें से सभी या किसी भी जानकारी का खुलासा करने की अनुमति देता है:
- कार्ड/यूजर से संबंधित जानकारी और डेटा;
 - इस एग्रीमेंट की किसी भी शर्त से जुड़ी जानकारी या डेटा; और
 - यहां निहित दायित्वों को पूरा करने में यूजर द्वारा की गई किसी भी चूक को, बैंक और/या जैगल द्वारा उपयुक्त और आवश्यक समझे जाने पर, क्रेडिट सूचना ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड तथा भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा इस उद्देश्य हेतु अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को प्रकट और उपलब्ध कराया जा सकता है।
25. बैंक और/या जैगल अपने पूर्ण विवेकाधिकार से किसी भी समय नियमों और शर्तों तथा कार्ड से संबंधित सभी शुल्कों और प्रभारों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। इन्हें www.zaggle.com/terms-and-conditions पर अपडेट किया जाएगा।
- कार्ड से संबंधित सभी शुल्क और प्रभार कार्ड से डेबिट करके या अन्य उपलब्ध और लागू माध्यमों से वसूल किए जाएंगे।

26. ये सबसे जरूरी नियम और शर्तें हैं और इन्हें वेबसाइट www.zaggle.in/terms-and-conditions पर जिंजर मल्टीवॉलेट कार्ड सेक्शन के तहत दिए गए नियम और शर्तों के साथ पढ़ा जाएगा।
27. ये नियम और शर्तें भारत के कानूनों और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट्स जारी करने और संचालन पर लागू भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार शासित होंगी और नियंत्रित समझी जाएंगी। सभी विवाद केवल मुंबई की अदालतों के विशेष अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।